राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3406/2022

गंगाराम सैनी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम, जयपुर (राज.)।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर (राज.)।
3. सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.08.2022
आदेश की दिनांक : 08.09.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री सत्यनारायण गुप्ता, ओ.आई.सी.

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 16.08.2022 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रयोगशाला सहायक के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोविन्दगढ़, अलवर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर आदेश दिनांक 06.12.2017 को हुई थी और दिनांक 15.12.2017 को अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया और 2 वर्ष की परिवीक्षा काल संतोषजनक पूर्ण होने पर उसे आदेश दिनांक 19.04.2022 के द्वारा स्थायी किया गया। परंतु आलोच्य आदेश दिनांक 16.08.2022 के द्वारा अपीलार्थी को बगैर सुनवाई का मौका दिए विड्रा कर लिया गया, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 16.08.2022 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से ओ.आई.सी. श्री सत्यनारायण गुप्ता द्वारा अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुए मौखिक रूप से बहस की गई है कि अपीलार्थी की नियुक्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर अवमानना संख्या 984/2017 अंतर्गत एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11646/2015 में पारित आदेश दिनांक 01.03.2017 की पालना एवं डी.बी.सिविल स्पशेल अपील संख्या 1058/2017 राजस्थान सरकार व अन्य बनाम विवेकानन्द गर्ग व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05.12.2017 की पालना में अपीलार्थी को प्रयोगशाला सहायक के पद पर वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 03.10.2017 के अनुसरण में नियुक्ति दिनांक 06.12.2017 को प्रदान की गई और अपीलार्थी द्वारा दिनांक 14.12.2019 को परिवीक्षा काल पूर्ण किया गया। तदुपरान्त उसे पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में प्रयोगशाला सहायक पद की पे मेट्रिक्स L5 में नियत कर नियमित नियुक्ति की गई और आदेश दिनांक 16.08.2022 जो जारी किया गया है, वो नियमानुसार एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित ओ.आई.सी. की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रयोगशाला सहायक के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोविन्दगढ़, अलवर में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर आदेश दिनांक 06.12.2017 को हुई थी और दिनांक 15.12.2017 को अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया और 2 वर्ष की परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण होने पर उसे आदेश दिनांक 19.04.2022 के द्वारा स्थायी किया गया। जहां तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश दिनांक 16.08.2022 के द्वारा अपीलार्थी से वेतन नियतन को प्रत्याहरित (withdraw) किए जाने का प्रश्न है, हमारे द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 16.08.2022 का अवलोकन किया गया। परंतु उक्त आदेश में अपीलार्थी की वेतन नियतन को प्रत्याहरित किए जाने का कोई कारण उल्लेख नहीं किया गया है। अधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करने हेतु अनेकों बार अवसर दिए जाने पर भी कोई लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया प्रत्यर्थी विभाग की ओर से ओ.आई.सी. ने भी बहस के दौरान ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि

अपीलार्थी का वेतन नियतन किस कारण से प्रत्याहरित किया गया है। जबकि आदेश दिनांक 06.12.2017 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर अवमानना संख्या 984/2017 अंतर्गत एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11646/2015 में पारित आदेश दिनांक 01.03.2017 की पालना एवं डी.बी.सिविल स्पशेल अपील संख्या 1058/2017 राजस्थान सरकार व अन्य बनाम विवेकानन्द गर्ग व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05.12.2017 की पालना में अपीलार्थी को प्रयोगशाला सहायक के पद पर वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 03.10.2017 के अनुसरण में नियुक्ति दिनांक 06.12.2017 को प्रदान की गई और अपीलार्थी द्वारा दिनांक 14.12.2019 को परिवीक्षा काल पूर्ण किया गया। तदुपरान्त उसे पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में प्रयोगशाला सहायक पद की पे मेट्रिक्स L5 में नियत कर नियमित नियुक्ति की गई। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी किया गया आलोच्य आदेश दिनांक 16.08.2022 विधि एवं नियमों के विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और आलोच्य आदेश दिनांक 16.08.2022 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है एवं अपीलार्थी को नियमानुसार समस्त वेतन लाभ आदि प्रदान किए जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य